न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.एस. संख्या 2024/300

1. रोहिताश पुत्र श्री प्रभात
2. गोविन्द पुत्र श्री प्रभात
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0।

—**रेस्पोडेन्ट**

द्वितिय अपील अंतर्गत धारा—76 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, कोटपूतली निर्णय दिनांक 24—06—2024 अपील संख्या 93/2023 बउनवानी रोहिताश बनाम राजस्थान सरकार वगै0 एवं निर्णय विरूद्व तहसीलदार कोटपूतली निर्णय दिनांक 28—07—2023 प्रकरण संख्या 15/2022 अंतर्गत धारा 91(3) राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—

1. श्री हेमन्त कांकोरिया वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—16.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, कोटपूतली जिला कोटपूतली—बहरोड के आदेश दिनांक 24.06.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा ग्राम भोजावास तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नं. 705 रकबा0.28 है0 में से 0.03 है0 पर अपीलांट्स रोहिताश पुत्र श्री प्रभात वगै0 का अतिक्रमण मानते हुये अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने, सजा एवं पैनल्टी के आदेश दिनांक 28.07.2023 को दिये गये । तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिये गये आदेश को गलत बताते हुये अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, कोटपूतली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, कोटपूतली द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के निर्णय को विधि अनुरूप मानते हुये अपील खारिज किये जानेके आदेश दिनांक 24.06.2024 को दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली—बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 24.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट रोहिताश पुत्र श्री प्रभात वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कोटपूतली के निर्णय दिनांक 24.06.2024 एवं तहसीलदार, कोटपूतली के निर्णय दिनांक 28.07.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि अथवा मूर्ति श्री जी भूमि पर अतिक्रमण नही किया अपितु आराजी हाल खसरा नम्बर 705/0.28 वाके मोजा भोजावास तहसील कोटपूतली की भूमि को मूर्ति मंदिर श्री देवीजी की जाहिर करते हुये अप्रार्थीगण के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 705/0.28 वाके मोजा भोजावास जिसके साबिक खसरा नम्बर 713 वाके मोजा भोजावास तहसील कोटपूतली है जो कभी भी मूर्ति मंदिर श्रीदेवीजी की खातेदारी की भूमि नही रही यानी मूर्ति मंदिर श्रीदेवजी कभी भी खातेदार कातश्कार नही रहे, अपितु उक्त भूमि के मूर्ति मंदिर श्रीदेवजी जागीरदार थे। अप्रार्थीगण के बुजुर्गान खेराती, ग्यारसी पुत्रान धन्ना व प्रभात पुत्र प्रमा काश्तकार थे एवं राजस्थान विस्वेदारी जमीनदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने के पश्चात धारा 9 व 10 लागू होने के उपरान्त मूर्ति मंदिर श्रीदेवजी के सभी विस्वेदारी व जागीरदारी अधिकार राजस्थान सरकार में निहित हो गये एवं उपरोक्त भूमि पर तत्समय के काश्तकार अप्रार्थीगण के बुजुर्गान खेराती, ग्यारसी पुत्रान धन्ना व प्रभात पुत्र प्रेमा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये एवं उस क्रम में अप्रार्थीगण के बुजुर्गान खेराती, ग्यारसी पुत्रान धन्ना व प्रभाती पुत्र प्रेमा का नाम राजस्व रिकार्ड यानी जमाबन्दी में सैटलमैन्ट तक लगातार चला आ रहा था। उपरोक्त भूमि का राजस्थान सरकार को बतौर खातेदार लगान अदा करते आ रहे थे। दौराने सैटलमैन्ट गलत रूप से अप्रार्थीगण व उनके बुजुर्गान का नाम बिना अप्रार्थीगण व उनके बुजुर्गान खेराती, ग्यारसी पुत्रान धन्ना व प्रभाती पुत्र प्रेमा को सुचित किये व बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नाम विलोपित कर दिया। जिस बाबत रिकार्ड दुरूस्ती हेतु अप्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर रखा है। महज राजनेतिक व पारिवारिक द्वैशतावश कुछ व्यक्तियो द्वारा पटवारी हल्का के साथ मिलकर श्रीमान के समक्ष यह गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं मूर्ति मंदिर श्रीदेवीजी की और से एक बाद बाबत बेदखली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में मूर्ति श्रीदेवीजी बनाम रोहिताश वगैरा प्रस्तुत कर रखा है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुये धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही नही चल सकती है के द्वारा अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली वास्ते साक्ष्य एवं बयान पटवारी हल्का हेतु नियत किये जाने पर बार बार समय दिये जाने पर भी पटवारी हल्का जिरह हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही आया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2023 को गलत रूप से अपीलान्ट का जिरह का अवसर समाप्त कर एवं बिना अपीलान्ट को स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये एवं बिना अपीलान्ट की बहस सुने दिनांक 28.07.2023 को अपीलान्टगण को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं जो कि पूर्णतया अवैध है। प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज व समग्र सामग्री का अवलोकन किए बिना एवं उक्त तथ्यो को भी बिना समझे ही अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलेक्टर कोटपूतली निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2079 में आराजी खसरा नं. 705 मंदिर देवीजी की खातेदारी भूमि राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है जो सरकारी भूमि एवं सिवायचक भूमि की श्रेणी में है। तहसीलदार कोटपूतलीद्वारा पटवारी हल्का सरूण्ड की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधि अनुरूप कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष मिथ्या तथ्यों के आधार परअपील पेश की गई एवं स्वयं ने विवादित भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है ऐसी दशा में अपील निरस्त कर दीगई जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद ग्राम भोजावास तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 705 रकबा 0.28 है0 में से 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पटवारी हल्का सरूण्ड की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् कार्यवाही की है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि वर्तमान जमाबंदी में आराजी खसरा नं. 705 मंदिर देवीजी की खातेदारी भूमि राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है जो सरकारी भूमि एवं सिवायचक भूमि की श्रेणी में है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिंग है। जिसका संरक्षण राज्य सरकार एवं उसके लोक सेवकों का दायित्व है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जॉच पश्चात् ही अपीलांट्स द्वारा मंदिर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर ही अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् कार्यवाही की है। जो कि विधि अनुरूप है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष भी प्रार्थीगण द्वारा अपील में विवादित आराजी पर बुजुर्गाना जमाने से कब्जा होना माना गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के आदेश दिये गये है। जो कि उचित एवं विधिसम्मत् हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 24.06.2024 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 24.06.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर